न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03 / 2024
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2024 / 76

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री गौतम पिता खेमा निवासी चौखला तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा	बनाम	भूमिधारी तहसीलदार तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा

उपस्थित –
श्री तरुण कुमार अडीचवाल, एड्वोकेट (अपीलांट की ओर से)
राजकीय अधिवक्ता (रेस्पोडेंट सं. 7 की ओर से)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम

दिनांक :– 28–04–2026

अपीलार्थी की ओर से यह ग्राम चौखला, पटवार हल्का चौखला, तहसीलदार बागीदौरा नामान्तरकरण संख्या 305 फैसला दिनांक 25.09.2008 प्रकरण संख्या 12 / 2008 को तहसीलदार बागीदौरा के उक्त नामान्तरकरण से असन्तुष्ट होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम अपील में देरी के लिये विलम्ब माफी बाबत् प्रार्थना पत्र संलग्न है।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेंटस को जरिये समन सूचित किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दिनांक 04.03.2025 को अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट्स की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की प्रस्तुत लिखित बहस में यह कथन किया गया कि मौजा एवं पटवार हल्का चौखला तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा की कृषि भूमि साबिक आराजी नम्बर 218 रकबा 2 दो बीघा 18 अठारह बिस्वा ,साबिक आराजी नम्बर 1694 रकबा 2 दो बीघा 6 बिस्वा जिसका कुल किता 02 दो रकबा 5 पांच बीघा 4 चार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

बिस्वा के एक मात्र खातेदार काशतकार खेमा , मोगा पुत्र नाथीया बलाई (बुनकर) था एव उक्त दोनो का निधन हो गया है जिनका एक मात्र वारिश अपीलान्ट गोतम हे।

उक्त साबिक आराजी नम्बर 1694 रकबा 2 दो बीघा 6 छः बिस्वा मेसे 1 एक बीघा 3 तीन बिस्वा =1861.55 वर्गमिटर अपीलान्ट गोतम के पिता खेमा एव चाचा मोगा नेमिलकर उक्त आराजी का पूर्ण हिस्सा तत्कालीन तहसीलदार साहब बागीदौरा के मार्फत श्रीमान जिला कलेक्टर साहब बांसवाडा से तारिख 20–12–1996 को आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये परिवतर्तित कराई एवं 1/2 आधा पश्चिमी हिस्सा साबिक आराजी का 1 एक बीघा 3 बिस्या कृषि भूमि के रूप मे यथावत रखा था। जिसका एक मात्र खातेदार काशतकार अपीलान्ट है उक्त साकिब आराजी नम्बर 1694 का रकबा 19 बिस्वा पूर्वी भागपुरी आराजी की की 1/2 आधी के बाद अपीलान्ट के खाते आवासीय वर्तमान खातासंख्या 125 मे हाल आराजी नम्बर 676 रकबा 0.19 है. संवत 2074 से 2077 मे दर्ज है, परन्तु वर्तमान नक्षा मे उक्त आराजी को पश्चिम दिशा मे दर्शा रखी है जबकि तारिख 20–12–1996 को पूर्वी भाग आवासीय कराया था जो नक्षे में अंकित था, एव पश्चिम भाग कृषि भूमि शेष थी उसे आवासीय नही कराई थी ,यह पता तहसीदार बागीदौरा पत्रावली नम्बर 10/2000 आदेश तारिख 06–06–2001 से स्पष्ट होता है। जिसमे आवासीय करने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया था।

अपीलान्ट के पिता खेमा का एक मात्र वारिश अपीलान्ट ही था तथा जब चाचा मोगा का निधन हुआ तब चाची कुरी बारिश बनी एव चाचा, चाची के कोई औलाद नही थी इसलिये चाची के निधन के बाद इनका वारिश भी अपीलान्ट ही बना , यानि उक्त साबिक आराजी नम्बर का एक मात्र खातेदार काश्तकार एंवं काबिज अपीलान्ट गोतम बलाई (सालवी) अकेला है। जो पिडीत पक्षकार है।

साबिक आराजी नम्बर 1694 मीन रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा कृषि भूमि को पूर्व खातेदारस्व. खेमा,मोगा पुत्र नाथीया अथवा श्रीमति कुरी बेवा मोगा अथवा अपीलान्ट गोतम नेउक्त आराजी नम्बर का पश्चिम आधा भाग आज तक उक्त कृषि भूमि को आवासीय नही कराई एव नहीं आवासीय [illegible] को राजकोष मे कोई राशि जमा कराई है एंव न हीकिसी सक्षम अधिकारी ने [illegible]क मीन आराजी का 0.19 है. को आज तक आवासीय उपयोग के लिये संपरिवर्तन की है, फिर भी तहसीलदार साहब ने एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

गरीब अपीलान्ट दलित की जमीन को अवैद्य आवासीय बतलाकर ना.स. 305 तारिख 25–09–2008 को मिसलनम्बर 12/2008 के द्वारा स्वीकृत किया जो पूर्ण रूप से अवैद्य है। उक्त पत्रावली अपीलान्ट के नाम की कृषि भूमी आवासीय की तहसील कार्यालय मे नही है।

तत्कालिन तहसीलदार साहब बागीदौरा को तारिख 02–05–2001 को खातेदार स्व.खेमजी पुत्र नाथु एव श्रीमती कुरी बेवा मोगजी बलाई निवासी चौखला ने लिखित मे प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उनके खाते की साबिक आराजी नम्बर 1694 मीन रकबा 1 एक बीधा 3 बिस्वा = 19 बिस्वा आबादी नही कराना चाहते है उनके पास परिवर्तन शुल्क भरने को पैसा नही है ,इस पर तहसीलदार ने उक्त दोनो खातेदारो कि द्धारा पूर्व मे आवासीय कराने का प्रार्थना पत्र पत्रावली नम्बर 10 तारिख 06–06–2001की आदेशीका में लिखा है कि उक्त प्रार्थीगण की भूमि को आवासीय कराने जिला.कलेक्टर बांसवाडा को पत्रावली भेजी जिस पर जिला. कलेक्टर साहब के पत्र दिनांक 09–01–2001 मे लिखा कि प्रार्थीगण से आवासीय परिवर्तन कराने की राशि रू. 3724 राजकोष मे जमा कराने हेतु निर्देश दिये जावे, जिस पर दोनो को सूचना दी गई एवं उपस्थित होकर खातेदारो (प्रार्थीगण) ने निवेदन किया कि उनके पास पैसे जमा कराने के नही है एव उक्त भूमि अब आवासीय परिवर्तन नही कराना चाहते है इसकी जानकारी श्रीमान जिला. कलेक्टर साहब बांसवाडा को भेजी गई पत्रावली फैसल शुमार हो यानि प्रार्थीगण खातेदार खेमा व श्रीमती कुरी ने उक्त भूमि आवासीय नही कराई जबकि वह कृषि भूमी ही रही, जो आज भी कृषि भूमि है ,परन्तु रिस्पोडेन्ट तहसीलदार साहब ने नक्षा मे कांट छांट कराकर साबिक आराजी नम्बर 1694 के हाल आराजी नम्बर 676,677,678, 679/2998 मे से पश्चिमी भाग आराजी नम्बर 676 रकबा 0.19 है.गैर मु.आबादी दर्ज कर दी ,जबकि यह कृषि भूमि है एंव सिर्फ आवासीय आराजी नम्बर 677,678, 679/2998 ही है, एवं नामान्तरण संख्या 857 दिनांक 27–08–1988 मे अमलदरामद कर आबादी का दाखिला लगाया गया था,जो आबादी दिनांक 20–12–1996 के [illegible] की थी।

खातेदार खेमा पुत्र नाथु जी अपीलान्ट के पिता था उनका निधन तारिख 20–01–2005को हुआ एवं अपी. की चाची [illegible]मती कुरी बेवा मोगा का निधन तारिख 20–06–2006 मेहुआ था, फिर मिसल नम्बर 12/2008 से तारिख 25–09–2008 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

आवासीय कराने का प्रश्न पैदा नही होता। अपीलान्ट ने आज तक आवासीय नही कराई है तथा तारीख 25–09–2008 को खातेदार खेमा बलाई एवं श्रीमती कुरी जिन्दा नही थे।

तारिख 25–09–2008 को जो भी तहसीलदार साहब बागीदौरा तहसीलदार के पद पर तैनात थे उन्होने अपीलान्ट जो दलित जाति का गरीब किसान है उसके खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रभावशाली सवर्ण जाति के व्यक्ति से नाजायज लाभप्राप्त करके बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के तारिख 25–09–2008 को खातेदार अपीलान्ट का पिता खेमा एव चाची कुरी का निधन हो चुका था एवं इन दोनो ने अपने खाते की साबिक आराजी नम्बर 1694 मीन रकबा 1 एक बीघा 3 बिस्वा को मिसल नम्बर12/2008 लिखकर आवासीय का नामान्तरण संख्या 305 को तारिख 25–09–2008 को अवैद्य रूप से स्वीकृत किया जो पूर्ण रूप से अवैद्य है एव तहसीलदार को बिना खातेदारो की प्रार्थना के एंव बिना सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर बांसवाडा के आदेश के एवं बिना राजकोष मे आवासीय राशि जमा कराये बिना खातेदारो को सूचना दिये बिना उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया है जो पूर्णरूप से अवैद्य है एव अवैद्य नामान्तरण को निरस्त कराने की कोई समय सीमा अवधि निर्धारित नही है ज्योही जानकारी मे आयें अपील कर उक्त नामान्तरण निरस्त कराने को अपीलान्ट आजाद है।

तत्कालिन तहसीलदार साहब ने उक्त अवैद्य नामान्तरण संख्या 305 फैसल तारिख 25–09–2008 को आवासीय फर्जी तरीके से मानकर स्वीकृत कर दिया क्योकि उक्त भूमिगॉव की आबादी के पास है एवं सडक पर है एवं यदि उक्त आराजी 1694 मीन 1 एकबीघा 3 बिस्वा हाल आराजी नम्बर 676 रकवा 0.19 है. को गलत आबादी दर्ज की है क्योकि उक्त आबादी उक्त आराजी का पूर्वी भाग आबादी कराया जो हाल आराजी नम्बर 677, 678, 679/2998 कुल रकबा 0.18 है. बिलानाम आबादी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है जि[illegible] आपत्ति नही है [illegible] आराजी नम्बर 679 रकबा 0.1900 है. अवैद्य नामान्तरण नम्बर 305 से दर्ज [illegible] है जिसे निरस्त कराने की यह अपील की है उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के [illegible] मे थी एवं उक्त भूमि पर किसी प्रभावशाली सवर्ण जाति के व्यक्ति का जो व्य[illegible] अनुजाति का नही है वह अपीलान्ट की भूमि पर जबरन कब्जा कर देता है अथवा प्रयास करता है तो पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

तहसीलदार के मार्फत धारा 175 ,42 राज.काश्तअधि.की या धारा 183 बी मे बेदखली की कार्यवाही नही करा सकता है अथवा अत्याचार निवारण अधि.मे फौजदारी प्रकरण पुलिस मे दर्ज नही कर सकता है अथवा समाज कल्याण विभाग मे शिकायत भी नही कर सकता है अथवा श्रीमान को शिकायत भी नही कर सकता है इन तमाम परेशानियो से बचने के लिये उक्त कृषि भूमि अनु.जातिके व्यक्ति के खाते की भूमि को राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम आबादी अवैद्य दर्ज हो जाने के बाद उसके बाद अपीलान्ट किसी प्रकार की उक्त सवर्ण जाति के किसी प्रभावशाली व्यक्ति जो उक्त कृषि भूमि को अवैद्य नामान्तरण से आवासीय दर्ज कर दी है, के विरूद्ध कही पर कार्यवाही नही करा सके इसी दुर्भावना से एवं अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने के लिये नामान्तरण स्वीकृत किया है जो उनके अधिकार क्षैत्र से परे होने से पूर्ण रूप से अवैद्य है जो काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट इस अपील मे साबिक आराजी नम्बर 1694 का 1/2 आधा पूर्वी भाग जिसके हाल आराजी नम्बर 676 रकबा 0.1900 है. उक्त नामान्तरण निरस्त कराकर उक्त भूमी को पुनः कृषि भूमी के रूप मे खाते कराने की यह अपील पेश की है।

अपीलान्ट उक्त भूमि को आज तक कृषि भूमि मानकर उस पर काश्त करता चला आ रहा है परन्तु तारिख 16--05--2024 को पटवारी हल्का चौखला से पता चला कि उक्त साबिक आराजी से बना हाल आराजी नम्बर 676 रकबा 0.19 है. आवासीय है एव पर 3 तीन वर्ष मे निर्माण नही किया है यदि मैने शिकायत कर दी तो आपकी आबादी तहसीलदार निरस्त कर देवेगें तब अपीलान्ट को प्रथम बार जानकारी मिलने के बाद अपीलान्ट के खाते की भूमि अवैद्य रूप से तत्कालीन तहसीलदार ने आबादी कर दी गई है फिर नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर बिना देरी एवं धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह अपील पेश की है जो स्वीकार फरमाकर एक दलित जाति के गरीब किसान के साथ न्याय फरमाया जाने की अपीलान्ट श्रीमान से प्रार्थना करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 1694 अथवा 676 रकबा एक बीघा 3 बिस्वा जो भी है नामान्तरण संख्या 305 से तारिख 25-08-20[illegible] से खेमा पुत्र नाथ बलाई एव श्रीमती कुरी बेवा मोगा बलाई के खाते की कृषि भूमि को अवैद्य रूप से आबादी कर दी है। साबिक आराजी नम्बर 1694 रकबा 2 दो बीघा 6 बिस्वा के 1/2 पश्चिमी भाग का

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

हाल आराजी नम्बर 676 रकबा 0.19 है. पश्चिमी कृषि भूमी ही है ,इसे किसी सक्षम अधिकारी ने आज तक आबादी नही की है। मुझ अपीलान्ट के पिता एवं चाची ने जो भूमि विक्रय की थी, जो पूर्वी भाग की विक्रय की गई है, जो 0.1900 है. सन् 1996 मे आवासीय कराई थी उसके बाद उक्त आराजी का शेष भाग आवासीय नही कराया है। इस अपील की ताईद मे निम्न नजीरे अपीलान्ट पेश कर रहा है :—

1- RRT 2013(1) RBP 447 to 452 Transfer of Land which is void ab imitio can bechallenged at any time
2- RRT 2013(1) RBP 436to 439 Delay is not fatal in case of fraud
3- RRT 2013(1) HCP 712 to 723 Delay is not Material to dismiss the Reference when the allotment was obtaind by Fraud and misrepresentation
4- RRT 2002(1)RB P 257 It was held that is mutation was attested-Withouthearing all the heirs of deceased mannu such order is void ab initio and it can be set aside any time and Question of l Limitation does ot arise it was further held that if any orders in passed without notice to effected party Limitation will start from date of knowledge as held in RRD 1994 P606
5- RRT 2002(1) RBP 269 to 272 when the order of lower court is void ab initiothere is no Limitation for filling appeal as held RRD 1989 P 45
6- RRT 2007 (1) HCP 728 to 730 void decree can be challenged at any stage
7- RRT 2011 (1) SC P 602 A Liberal View should have been taken for condonation of delay
8. RRD 2012 HCP P 455 to 464 कृषि भूमि जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा आवासीय नही की जाती तब तक वह कृषि भूमि है।
9- RRT 2019(1) नामान्तरण से भूमी पर खातेदार को स्वामित्व के अधिकार सृजित नही होते है बल्कि नामान्तरण से भूमि का राजस्व लगान भरने का दाखिला होता है।

—महोदय जब तक ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि को सक्षम अधिकारी आवासीय नियम 2007के अनुसार आवासीय नही करता , तब तक वह कृषि भूमि ही रहती है।

—ग्रामीण क्षेत्र मे अकृषि भूमि मे परिवर्तन नियम 2007 के तहत कोई भी खातेदार काश्तकार सक्षम अधिकारी से आवासीय नही करता तब तक वह कृषि भूमि है।

—आवासीय हेतु नियम 8 मे तहसीलदार को सिर्फ 500 वर्गमिटर यानि 0.05 है तक आवासीय करने का अधिकार है एव उपखण्ड अधिकारी को 2500 वर्गमिटर यानि 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

25 है. तक को आवासीय करने का अधिकारी है एव श्रीमान को एव जिला कलेक्टर को 5000 वर्गमिटर यानि 0.50 है. इससे अधिक वर्गमिटर भूमी को आवासीय कराना हो तो राज्य सरकार को अधिकार है।

–नियम 7 आवासीय भूमि की दर 5 रूपये प्रति वर्गमिटर 50 रूपये या डीएलसी दर जो अधिक है।

नोट : यह नामान्तरण 305 मे बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के 1861.55 वर्गमिटर भूमि का आवासीय नामान्तरण तहसीलदार साहब बागीदौरा ने स्वीकृत किया है जो अवैद्य है ,उक्त भूमि 1861.55 वर्गमिटर आवासीय करने का अधिकार सिर्फ एसडीओ साहब को था, परन्तु इस प्रकरण मे बिना राजकोष मे रूपये जमा किये एवं बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के आवासीय कर दी है जो पूर्ण रूप से अवैद्य है।

अतः अपीलांट का निवेदन है कि इसे स्वीकार फरमाई जावे एवं ग्राम व मौजा चौखला पटवार हल्का चोखला कीसाबिक आराजी नम्बर 1694 रकबा 2 दो बीधा 6 बिस्वा (1 बीघा=140X140 वर्गफिट) मेसे आधी पूर्वी 1 एक बीघा 3 बिस्वा अपीलान्ट के पिता व चाची ने तारिख 20–12–1996 को 0.1900 है. तहसीलदार बागीदौरा के मार्फत श्रीमान जिला कलेक्टर से आवासीय कराई जिसके हाल आराजी नम्बर 677, 678, 679/2998 कुल किता 3 रकबा 0.18 है. आवासीय सही खाते मे बिलानाम आबादी दर्ज है ,परन्तु साबिक आराजी नम्बर 1694 की आधी भूमी का पश्चिमी भाग 1 एक बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 676 रकबा 0.1900 है. को आवासीय अवैद्य रूप से नामान्तरण संख्या 305 से तारिख 25–09–2008 को राजस्व रेकार्ड तहसीलदार साहब बागीदौरा ने मे आबादी दर्ज कर दी है, उक्त नामान्तरण निरस्त कर उक्त आराजी नम्बर 676 रकवा 0.1900 है. पुनः अपीलान्ट गोतम बलाई (सालवी) के खाते की कृषि भूमी पूर्ववतः कृषि मे ही दर्ज की जावें।

दिनांक 06.04.2026 व दिनांक 28.04.2026 को उभय पक्षकारान् को सुना गया। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर कथन किया कि अपीलान्ट उक्त भूमि को कृषि [illegible] मान कर उस पर काश्त करता चला आ रहा था परन्तु तारिख 16–05–2024 को पटवार हल्का चौखला से पता चला कि उक्त साबिक आराजी से बना हाल आराजी नम्बर 676 रकबा 0.19 है. आवासीय है एव पर 3 तीन वर्ष मे निर्माण नही किया है यदि शिकायत कर दी तो आपकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

आबादी तहसीलदार निरस्त कर देवेगें तब अपीलान्ट को प्रथम बार जानकारी मिलने के बाद अपीलान्ट के खाते की भूमि अवैद्य रूप से तत्कालीन तहसीलदार ने आबादी कर दी गई है फिर नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर बिना देरी एवं धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह अपील पेश की है। जो स्वीकार फरमाकर एक दलित जाति के गरीब किसान के साथ न्याय फरमाया जाने की प्रार्थना है।

रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि नियमानुसार प्रस्तुत अपील म्याद बाहर है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिदिन हुई देरी का कारण अंकित करना होता है जो प्रार्थना पत्र में नही दर्शाया गया है। प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से निरस्त फरमावे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने मूल अपील पर बहस के दौरान लिखित बहस अनुसार कथनो को दौहराया। रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि श्री देवेंग व पेमजी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चौखला के आ.नं 676, 677, 678, 679 को आबादी में नामान्तरकरण बाबत् दर्ज करने तहसीलदार बागीदौरा को प्रस्तुत करने पर प्रकरण सं. 12/08 अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर प्रकरण में समस्त पक्षकारान् सुना जाकर आदेश दिनांक 14.08.2008 पारित किया गया। जिस आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण ग्राम चौखला, पटवार हल्का चौखला, तहसीलदार बागीदौरा नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 25.09.2008 दर्ज किया गया है, जो विधि सम्मत है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो नामान्तरकरण की कार्यवाही 135(2) के तहत सम्पादित किया जाना यह स्पष्ट करती है। इस प्रकरण में नामान्तरकरण की कार्यवाही अविवादित न होकर विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

थी और नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत आता है। ऐसे आदेश के विरुद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 75 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत निदेशक भू–अभिलेख के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है और निदेशक भू अभिलेख की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त/ अति.संभागीय आयुक्त को प्रदत्त की गई है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28–04–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested